19/12/25

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 215/2024 **जीसीएमएस नम्बर :– 2024/495**

1. दयानन्द पुत्र कन्हीराम
2. विमला देवी पत्नी दयानन्द
3. महेन्द्र सिंह पुत्र कन्हीराम
4. मूर्ति देवी पत्नी महेंद्रसिंह
5. सुबेसिंह पुत्र कन्हीराम समस्त जाति अहीर निवासीगण झाँझा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

......................वादीगण

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र जालु
2. जगदीश पुत्र बनवारीलाल
3. रतनसिंह पुत्र बनवारीलाल
4. सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल
5. सरबती देवी पत्नी बनवारीलाल
6. सुमित्रा देवी पुत्री बनवारीलाल
7. रामकला पुत्री बनवारीलाल
8. बहादुर सिंह पुत्र मेहरचन्द
9. शमशेरसिंह पुत्र मेहरचन्द
10. सूरजभान पुत्र मेहरचन्द
11. महेंद्रसिंह पुत्र जगना
12. रघुवीरसिंह पुत्र जगना
13. मनफूल पुत्री जगना
14. रामप्यारी पुत्री जगना
15. बिमला देवी पत्नी दलीपसिंह पुत्र जगना
16. केरला देवी पुत्री दलीपसिंह पुत्र जगना
17. मुनेश देवी पुत्री दलीपसिंह पुत्र जगना
18. राजपाल पुत्र विशम्भर
19. सत्यप्रकाश पुत्र विशम्भर
20. लालाराम पुत्र भगवाना समस्त जाति अहीर निवासीगण झाँझा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुंझुनू राज0

............प्रतिवादीगण

दावा बाबतः– खाता विभाजन

–:निर्णयः– दिनांक– 11/11/25

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम–बुहाना तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता स. 1775 के खसरा न. 1104 रकबा 1.44 है. खसरा न. 1105 रकबा 0.83 है. खसरा न. 1109 रकबा 1.18 है. खसरा न. 1110 रकबा 1.21 है. खसरा न. 1111 रकबा 1.48 है. खसरा न. 1264 रकबा 0.93 है. खसरा न. 1265 रकबा 1.97 है. 1269 रकबा 0.02 है. खसरा न. 1310 रकबा 0.08 है. खसरा न. 3844/1106 रकबा 1.08 कुल किता 10 कुल रकबा 10.22 है. खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमे वादी स. 1 का भाग 4313/30660 हिस्सा व वादी स.2 का भाग 321/5110 हिस्सा वादी स.3 का भाग 314/7665 हिस्सा वादी स.4 का भाग 321/5110 हिस्सा वादी स.5 का भाग 314/7665 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण भी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का कदीम से बाहमी बँटवारा कर रखा है तथा कदीमी बाहमी बंटवारे के मुताबिक्त अपने–अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक रूप से काबिज काश्त है।
2. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकारों ने बाहमी बँटवारा कर रखा है तथा उक्त बाहमी बँटवारा के मुताबिक सभी काश्तकार अपने–अपने हिस्से पर शांति पूर्वक रूप से काबिज काश्त है। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को ओर अधिक उपजाऊ करने के लिए खाद डालकर समतल कर अधिक उपजाऊ किया है पेड़–पोधे लगाये है तथा वादीगण मोके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

यह कि विवादित वादवर्णित कृषि भूमि के खातेदार 5 रोज पूर्व वादीगण अपने हिस्से व बाहमी बंटवारे के मुताबिक कब्जेशुदा कृषि भूमि को काश्त करने लगे तो वादीगण को उसके हिस्से व कब्जे शुदा भूमि को काश्त नहीं करने दिया तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को विवादित वादवर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तथा वादीगण के कब्जेशुदा भूमि के काश्त करने में दखलंदाजी करने लगे तब दावा के लिए आधार विवाद पैदा हुआ। अतः यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

4. यह कि विवादित वादवर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान ने मोके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बांहमी बंटवारा के अनुसार मोके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण गत 5 रोज से लगातार धमकी दे रहे है कि वह वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा करेंगे। वादीगण को उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हिस्से व कब्जे से बेदखल करेंगे अगर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कर दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा गत 5 रोज से वादीगण के हिस्से व कब्जेशुदा भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर बाहुबली को बेदखल करने की धमकी देने से आधार विवाद पैदा हुआ अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क). कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम-बुहाना तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता स. 1775 के खसरा न. 1104 रकबा 1.44 है. खसरा न.1106 रकबा 0.83 है. खसरा न. 1109 रकबा 1.18 है. खसरा न.1110 रकबा 1.21 है. खसरा न. 1111 रकबा 1.48 है खसरा न. 1264 रकबा 0.93 है. खसरा न. 1265 रकबा 1.97 है. खसरा न. 1269 रकबा 0.02 है. खसरा न. 1310 रकबा 0.08 है. खसरा न. 3844/1106 रकबा 1.08 कुल किता 10 कुल रकबा 10.22 है. खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमे वादी स.1 का भाग 4313/30660 हिस्सा व वादी स.2 का भाग 321/5110 हिस्सा संयुक्त रूप रखा जावे तथा वादी स.3 का भाग 314/7665 हिस्सा वादी स.4 का भाग 321/5110 हिस्सा संयुक्त रूप से रखा जावे तथा वादी स.5 का भाग 314/7665 हिस्सा का कदीमी बाहमी बंटवारे के मुताबिक राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन किया जाकर अल्हेदा खाता व अल्हेदा लगान कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। तथा प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 22.05.2025 को लाई गई। अतः न्यायाल वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 382 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 4913 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव [illegible] शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया [illegible] द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी [illegible] ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, [illegible]मति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कायदा (129)

जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 1775 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता स0 1775 के खसरा न0 1104 रकबा 1.44 है0, खसरा न0 1105 रकबा 0.83 है0, खसरा न0 1109 रकबा 1.18 है0, खसरा न0 1110 रकबा 1.21 है0, खसरा न0 1111 रकबा 1.48 है0, खसरा न0 1264 रकबा 0.93 है0, खसरा न0 1265 रकबा 1.97 है0, खसरा न0 1269 रकबा 0.02 है0, खसरा न0 1310 रकबा 0.08 है0 खसरा न0 3844/1106 रकबा 1.08 कुल किता 10 कुल रकबा 10.22 हैक्टर भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 215/2024 जीसीएमएस नम्बर :– 2024/495

दयानन्द **बनाम** चिंरजीलाल आदि

दावा बाबत – खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता स0 1775 के खसरा न0 1104 रकबा 1.44 है0, खसरा न0 1105 रकबा 0.83 है0, खसरा न0 1109 रकबा 1.18 है0, खसरा न0 1110 रकबा 1.21 है0, खसरा न0 1111 रकबा 1.48 है0, खसरा न0 1264 रकबा 0.93 है0, खसरा न0 1265 रकबा 1.97 है0, खसरा न0 1269 रकबा 0.02 है0, खसरा न0 1310 रकबा 0.08 है0 खसरा न0 3844/1106 रकबा 1.08 कुल किता 10 कुल रकबा 10.22 हैक्टर भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/11/25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)